न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 214/2018

अनवान :

1. जसवीर
2. औमप्रकाश
3. जगदीशचन्द्र

} पुत्रान बीरबल पुत्र श्री लालजी जाति जाट निवासी गांव मात्रशाम तहसील व जिला हिसार (हरियाणा)

4. सतपाल पुत्र ईश्वर जाति जाट निवासी गांव मात्रशाम तहसील व जिला हिसार (हरियाणा)

– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955
उपस्थिति : वकील श्री राजेन्द्र कुमार गोयल : **वादीगण**
पेरोकार राज : **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांक : 24-02-2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही भिरानी के खाता सं0 545/491 में मुरबा नं0 170, किला नं0 25 की 0.253 है0 मु0नं0 171 के किला नं0 21 की 0.253 है0 मु0नं0 178 के किला नं0 1, 9 व 10 की 0.759 है0 मु0नं0 179 किला नं0 4 ता 7 की 1.012 है0 मु0नं0 403 किला नं0 14 ता 18 की 1.265 है0, किला नं0 23 ता 25 की 0.759 है0 मु0नं0 404 के किला नं0 11, 12 की 0.506 है0, किला नं0 18 ता 22 की 1.265 है0 मु0नं0 411 के किला नं0 2 की 0.253 है0, कुल 6.325 है0 (बारानी 6.287 है0 गै0मु0रास्ता 0.038 है0) खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जिसमें बीरबल एवं लालजीराम का 8 हिस्सा यानि 8 किला खातेदारी हक व हिस्सा है।

उक्त कृषि भूमि बीरबल की खुद पैदा कर्दा कृषि भूमि है। बीरबलराम की वादीगण ने सेवा की थी। बीरबलराम की लड़कियों प्रेमादेवी, सिलोदेवी दोनों शादी शुदा है। जिनकी शादी के समय बीरबलराम ने काफी नगदी, जेवरात आदि देकर उनकी हकरसी पूरी कर दी थी। बीरबलराम की धर्मपत्नी मानीदेवी का पहले ही स्वर्गवास हो चुका। बीरबलराम के जीवनकाल में वादीगण ने इसे रोटी, कपड़ा आदि दिया था। बीरबलराम ने वादीगण की सेवा से प्रसन्न होने अपनी तमाम चल-अचल सम्पति वादी औमप्रकाश, जगदीशचन्द्र, जसवीर पुत्रान बीरबलराम 3/4 हिस्सा, सतपाल पुत्र ईश्वर पुत्र बीरबल 1/4 हिस्सा के अनुसार उनके हक में वसीयत कर दी थी तथा एक वसीयतनामा उप पंजीयक अधिकारी हिसार के समक्ष दिनांक 08.05.2008 को पंजीयन करवाकर बही संख्या 3, जिल्द संख्या 11, पृष्ठ संख्या 106 पर दिनांक 08.05.2008 को पंजीबद्ध करवा दिया था।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

वाद एवं प्रतिवाद के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि रोही भिरानी के खाता सं0 545/491 की कुल 6.325 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में बीरबलराम के नाम 1/8 हिस्सा यानि 8 किला दर्ज है जिसके मृत्यु उपरान्त जरिए मुताबिक वसीयत बीरबलराम की बजाय वादीगण औमप्रकाश, जगदीश चन्द्र, जसवीर पुत्रान बीरबल, सतपाल पुत्र ईश्वर का नाम बतौर खातेदार काश्तकार है ?

— वादीगण

2. आया कि बीरबलराम की दिनांक 27.10.2011 को गांव मात्रश्याम जिला हिसार में मृत्यु हो चुकी है एवं बीरबलराम ने उक्त वसीयत को पूरे होश–हवास एवं सोच समझकर निष्पादित करवाई थी ?

— वादीगण

3. आया कि वादीगण बीरबलराम के जीवनकाल में वादीगण के पक्ष में स्वतंत्र इच्छा से अपनी तमाम चल व अचल सम्पति दिनांक 08.05.2018 को एक वसीयतनामा उप पंजीयक अधिकारी हिसार के समक्ष निष्पादित करवाया था ?

— वादीगण

4. आया कि वाद भूमि बीरबलराम की खुद पैदाकर्ता कृषि भूमि है ?

— वादीगण

5. अनुतोष ?

साक्ष्य वादीगण में पीडब्लयु 1 औमप्रकाश, पीडब्ल्यु 2 सतपाल व वसीयत के गवाह पीडब्ल्यु 3 के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वसीयतनामा दिनाक 08.05.2008 प्रदर्श 1, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम भिरानी खाता सं0 545/491 सम्वत 2070 – 73 प्रदर्श 2, प्रमाणित प्रति रजिस्ट्री प्रदर्श 3, प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गईं दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए मुताबिक वसीयतनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

पैरवीकर्ता प्रतिवादी पेरोकार ने अपने जबाबदावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद में अंकित तथ्य स्वयं वादी को गवाहान के द्वारा साबित करने है। बीरबलराम की मृत्यु, मृत्यु प्रमाण पत्र द्वारा वादीगण को ही साबित करना है। वादगत कृषि भूमि खरीदशुदा भूमि है जो दादालाई कृषि भूमि नहीं है वसीयत रजिस्टर्ड।

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद में वादीगण ने रोही भिरानी के खाता सं0 545/491 के राजस्व रिकार्ड में बीरबलराम के नाम दर्ज कृषि भूमि में मुताबिक वसीयतनामा दिनांक 08.05.2008 के घोषणा करवाने हेतु पेश किया है।

हस्तगत वाद में चार तनकीयात कायम की गई है। तनकीवार निर्णय इस प्रकार है।

तनकी सं0 1, 2 व 3 तीनों एक दुसरे पर आधारित है इसलिए तीनों का निर्णय एक साथ किया जाना उचित है। वादीगण ने अपने साक्ष्य में असल वसीयतनामा दिनांक 08

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

05.2008 प्रदर्शित करवाया है जिसमें ओमप्रकाश, जगदीशचन्द्र, जसवीर पुत्रान बीरबल 3/4 हिस्सा व सतपाल पुत्र ईश्वर पुत्र श्री बीरबल 1/4 हिस्सा की वसीयत करना अंकित है तथा वसीयत के गवाह पीडब्यु 3 मांगेराम ने अपने बयानों में जाहिर किया है कि बीरबल द्वारा निष्पादित वसीयत प्रदर्श 1 है जिस पर अंगुठा बीरबल ने मेरे सामने लगाया था। प्रदर्श 1 पर ए–बी पर हस्ताक्षर मैने बीरबल के कहने से किये थे तथा सी–डी हस्तक्षर अमरचंद के है जिस की अब मृत्यु हो चुकी है। बीरबल ने हम दोनों की मौजूदगी में स्वेच्छा से अंगुठा लगाया था एवं प्रदर्श 2 जमाबन्दी ग्राम भिरानी में बीरबलराम के नाम से 8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र बीरबल पुत्र लालजी संलग्न पत्रावली है जिससे 27.10.2017 को बीरबल की मृत्यु होना व बीरबल द्वारा अपने जीवनकाल में की गई उक्त वसीयत का प्रभावी होना साबित होता है। इस प्रकार उपरोक्त तीनों तनकीयात वादीगण के पक्ष में व विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी सं0 4 इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीगण पर है वादीगण ने तनकी को साबित करने के लिए प्रदर्श 3 रजिस्ट्री की नकल पेश की है जिससे साबित है कि बीरबल ने वादगत कृषि भूमि को श्रीचन्द वल्द जीराम से कृषि भूमि का दाम चुकाकर खरीद की थी इस प्रकार वसीयत की गई सम्पति में ग्राम भिरानी की वादगत कृषि भूमि बीरबलराम की खुद पैदा कर्ता आराजी थी इस प्रकार यह तनकी भी वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत वाद में चार तनकीयात कायम की गई थी जो कि वादीगण के पक्ष में तय की जा चुकी है।

अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही भिरानी के खाता सं0 545/491 में मुरबा नं0 170, किला नं0 25 की 0.253 है0 मु0नं0 171 के किला नं0 21 की 0.253 है0 मु0नं0 178 के किला नं0 1, 9 व 10 की 0.759 है0 मु0नं0 179 किला नं0 4 ता 7 की 1.012 है0 मु0नं0 403 किला नं0 14 ता 18 की 1.265 है0, किला नं0 23 ता 25 की 0.759 है0 मु0नं0 404 के किला नं0 11, 12 की 0.506 है0, किला नं0 18 ता 22 की 1.265 है0 मु0नं0 411 के किला नं0 2 की 0.253 है0, कुल 6.325 है0 (बारानी 6.287 है0 गै0मु0रास्ता 0.038 है0) खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जिसमें बीरबल एवं लालजीराम का 8 हिस्सा यानि 8 किला खातेदारी हक व हिस्सा है में बीरबल का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24-02-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 214/2018

अनवान :

1. जसवीर
2. औमप्रकाश
3. जगदीशचन्द्र

} पुत्रान बीरबल पुत्र श्री लालजी जाति जाट निवासी गांव मात्रशाम तहसील व जिला हिसार (हरियाणा)

4. सतपाल पुत्र ईश्वर जाति जाट निवासी गांव मात्रशाम तहसील व जिला हिसार (हरियाणा)

– वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री राजेन्द्र कुमार गोयल एवं पैरवीकर्ता पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही भिरानी के खाता सं0 545/491 में मुरबा नं0 170, किला नं0 25 की 0.253 है0 मु0नं0 171 के किला नं0 21 की 0.253 है0 मु0नं0 178 के किला नं0 1, 9 व 10 की 0.759 है0 मु0नं0 179 किला नं0 4 ता 7 की 1.012 है0 मु0नं0 403 किला नं0 14 ता 18 की 1.265 है0, किला नं0 23 ता 25 की 0.759 है0 मु0नं0 404 के किला नं0 11, 12 की 0.506 है0, किला नं0 18 ता 22 की 1.265 है0 मु0नं0 411 के किला नं0 2 की 0.253 है0, कुल 6.325 है0 (बारानी 6.287 है0 गै0मु0रास्ता 0.038 है0) खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जिसमें बीरबल एवं लालजीराम का 8 हिस्सा यानि 8 किला खातेदारी हक व हिस्सा है में बीरबल का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
मुकेश बारैठ
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.25 13:04:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: